न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला आई.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 14/2019

श्रीमती विजय लक्ष्मी सांखला पत्नी श्री रतनलाल सांखला जाति ओसवाल जैन निवासी ए सर्वेश्वर नगर अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार अजमेर
2. श्री रमेशचंद्र पुत्र श्री जेठानन्द जाति सिंधी, निवासी मकान नम्बर 83/24 ब्यावर रोड अजमेर

अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 956

आदेश दिनांक 05.12.2019

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकिल उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के वकिल ने आवेदन पत्र में वर्णित कथनो को अपनी बहस में बताते हुए विशेष रूप से कथन किया कि ग्राम दौराई के खाता संख्या 210 खसरा नम्बर 397 रकबा 02–19–10 बीघा के खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 रमेशचंद पुत्र श्री जेठानन्द थे। मूल खातेदार ने उक्त सम्पूर्ण भूमि झलकारी देवी पत्नी श्री धनराज, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राजेश कुमार, भागचन्दपुत्र श्री धनराज जैन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.11.1988 को बेचान कर दी। ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर अवस्थित खसरा नम्बर 397 रकबा 02–19–10 बीघा के नये खसरानम्बर 485 रकबा 01–05–00 बीघा तथा खसरा नम्बर 486 रकबा 01–14–10 बीघा बने। उक्त वर्णित खसरा नम्बर (पुराना) 397 रकबा 01–05–00 बीघा तथा खसरा नम्बर 486 मिन रकबा 01–14–10 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.1.11 के द्वारा फर्स्ट श्रीमती मीना सांखला पत्नी श्री मोतीलाल सांखला, श्रीमती मीना सांखला पत्नी श्री मोतीलाल सांखला, श्रीमति विजय लक्ष्मी सांखला पत्नी श्री रतनलाल सांखला, निवासीगण सर्वेश्वर नगर, अजमेर द्वारा क्रय की गई। इस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1242 दिनांक 10.02.11 के द्वारा उक्त भूमि श्रीमती मीना सांखला व श्रीमती विजय लक्ष्मी सांखला के नाम वर्किंग जमाबंदी में दर्ज की गई, इस प्रकार वर्किंग जमाबंदी में श्रीमती मीना सांखला व श्रीमती विजय लक्ष्मी सांखला बहैसियत खातेदार दर्ज हो गये । श्रीमती मीना सांखला व श्रीमती विजय लक्ष्मी सांखला एक विनिमय प्रलेख 28.01.14 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीयन कराया जिसमें पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि से श्रीमती मीना सांखला ने अपना आधा हिस्सा श्रीमती विजय लक्ष्मी सांखला के नाम

Scanned by CamScanner

हस्तानान्तरित कर दिया, इस प्रकार ग्राम दौराई के खसरा नम्बर 485 मिन रकबा 01–05–00 बीघा तथा खसरा नम्बर 486 मिन रकबा 01–14–10 बीघा कुल 2 बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वान्सी भूमि के खातेदार प्रार्थीया श्रीमती विजय लक्ष्मी हो गई, जिसका इन्द्राज सम्वत 2069–2072 में कर दिया गया । मिलान क्षैत्रफल ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर के अनुसार खसरा नम्बर 482 मिन के रकबा 0.40 हैक्टयर के नवीन खसरा नम्बर 499 रकबा 0.40 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 486 रकबा 0.84 हैक्टयर बने । इस खसरा नम्बर 486 रकबा 0.84 हैक्टयर के नये खसरा नम्बर 500 बने । नये खसरा नम्बर 50 के रकबा 0.84 में से 0.56 हैक्टयर भूमि श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री द्वारका प्रसाद, श्री रमन देवी, सूरज नारायण पालीवाल, श्रीमती वीना अग्रवाल, श्रीमती वर्षा फतेहपुरिया के नाम दर्ज हो गई। इस प्रकार नवीन खसरा नम्बर 50 रकबा 0.84 हैक्टयर में से 0.56 हैक्टयर भूमि श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री द्वारका प्रसाद, श्री रमन देवी, सूरज नारायण पालीवाल, श्रीमती वीना अग्रवाल, श्रीमती वर्षा फतेहपुरिया दर्ज होने के बाद शेष भूमि 0.28 हैक्टयर बची जो कि प्रार्थीया के खातेद में दर्ज होनी चाहिये क्योंकि प्रार्भिया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.1.11 के द्वारा 02–19–10 बीघा भूमि मूल खातेदार से खरीदी थी और यदि 02–19–10 बी बीघा भूमि को हैक्टयर में तब्दील किया जाये तो वह भूमि 0.28 हैक्टयर ही प्रार्थीया के नाम दर्ज की गई शेष भूमि रकबा 0.64 हैक्टयर में से 0.56 हैक्टयर भूमि श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री द्वारका प्रसाद, श्रीमती वर्षा फतेहपुरिया के नाम दर्ज की गई शेष 0.8 हैक्टर मूल खातेदार रमेशचंद वल्द जेठानन्द के नाम से बदस्तूर दर्ज की गई। इस प्रकार जमाबंदी सम्वत 2069–2072 ग्राम दौराई में 0.08 हैक्टयर भूमि खातेदार रमेशचंद वल्द लेठानन्द के नाम से दर्ज की गई है वह त्रुटिवश की गई है क्योकि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरो की भूमि रमेशचंद पुत्र श्री जेठान्नद ने दिनांक 19.11.88 को ही बेचान कर दी थी। इन खसरा नम्बरो की भूमि में से कोई भी भूमि खातेदरो के नाम से शेंष नही बची थी । इस प्रकार 02–19–10 बीघा को यदि हैक्टयर में परिवर्तित किया जाता है तो इसकी कुल 0.48 हैक्टयर होती है यह एक लिपिकीय त्रुटि है जो इस प्रार्थना पत्र के जरिये दुरूस्त की जा सकती है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। उक्त वर्णित रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो एवं उसके आधार पर खोले गये नामान्तकरण जिसका कि इन्द्राज वर्किंग जमाबंदी में किये गये है उसके अनुसार ही जमाबंदी सम्वत्2069–2072 में ग्राम दौराई में इन्द्राज दुरूस्ती की जाये एवं जमाबंदी सम्वत 2069–2072 में खसरा नम्बर 500 रकबा 0.08 हैक्टयर भूमि जो कि रमेशचंद वल्द लेठानन्द कौम सिंधी के नाम गलती से अंकित की गई है, जमाबंदी सम्वत्2069–2072 से तर्क किया जाये तथा उक्त खसरा नम्बर 500 रकबा 0.08 हैक्टयर भूमि पुनः प्रार्थीया के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे।

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी की और से राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नही हाने से प्रार्थीयॉ का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर प्रस्तुत वर्किग जमाबंदी सम्वत 2041 के खाता संख्या 405 में अंकित नामान्तकरण संख्या 65 दिनांक 29.6.89 में खसरा नम्बर 485 मिन रकबा 2–16–00 श्रीमति जकार झकार देवी पत्नि धनराज वगेरह एवं नामान्तकरण संख्या 63 दिनांक 1.3.89 में खसरा नम्बर 486 रकबा 4–14–10 श्री महेश केलाश पुत्रगण मगतमल द्वारा क्रय किया गया जिसे जरिये बदर सूचि क्रमांक 1 दिनांक 30.12.10 से अवेघानिक रूप से उक्त नामान्तकरण में शुद्वि की गई साथ ही नामान्तकरण संख्या 1541 दिनांक 5.9.2013 के अनुसार व खसरा नम्बर 485 मिन रकबा 1–5–0 तथा खसरा नम्बर 486 मिन रकबा 3–9–10 दर्ज होकर खातेदार महेश व केलाश पुत्रगण मगतमल के बजाय केता गण विजयलक्ष्मी, सुनिल कुमार, मीना अग्रवाल एवं वर्षा फतहपुरिया के नाम दर्ज हुई है जबकि नामान्तकरण संख्या 1226 दिनांक 15.1. 2011 एवं नामान्तकरण संख्या 1242 दिनांक 10.2.2011 में वर्किग खसरा नम्बर 486 व 485 का रकबा भिन्न रूप से दर्ज है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा शुद्वि पत्र एवं नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत करते हुए अपनो कथनो को प्रमाणित नहीं किया गया है एवं नामान्तकरण संख्या 1594 दिनांक 5.2.2014 जो की विनिमय के आधार पर स्वीकृत किया है में वर्किग खसरा नम्बर 485 रकबा 1–5–0 व 486 मिन रकबा 1–14–10 वर्णित किया गया है इस प्रकार स्वयं प्रार्थीयॉ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी से अभिकथन व साक्ष्य में विरोधाभासी तथ्य प्रकृट होते है जिनकी अप्रार्थी तहसीलदार अजमेर द्वारा अपने जवाब के तहत स्पष्ट नही किया गया है इस प्रकार इस न्यायालय की विनम्र मत अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिभाषा में नही होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विषलेशण अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी,अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.06 15:51:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: